सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-2398/UP/27/2023-ESDW -RU-IV दिनांक: 21 /08/2025

सेवा मे,

श्री शैलेश कुमार
जिलाधिकारी,
जिलाभदोही-,
कलेक्टोरेट कैंपस, सरपतहा, ज्ञानपुर,
भदोही-221304, उत्तर प्रदेश,
ई :मेल-dmsrn@nic.in

विषय: जनपद भदोही में गोंड अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न रोकने के संबंध में श्री कमलेश कुमार गोंड, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा, जिलाभदोही-, ग्रामदलापुर-, पोस्टगोहीलाव-, तहसीलऔराई-, जिलाभदोही-, उत्तर प्रदेश-221402 से दिनांक 09.10.2023 का अभ्यावेदन ।

संदर्भ: एनसीएसटी पत्र दिनांक 05.12.2024 के साथ मामले मे हुई सिटिंग का कार्यवृत।

महोदय,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच /की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **28.08.2025 को 03:00** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

यो. प्र. यादव 21/8/25

योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्री कमलेश कुमार गोंड,
जिलाध्यक्ष,
अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा, भदोही,
ग्रामदलापुर-, पोस्टगोहीलाव-,
तहसीलऔराई-, जिलाभदोही-,
उत्तर प्रदेश-221402

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-2398/UP/27/2023-ESDW — दिनांक: 20.11.2023

सेवा में,

श्री गौरांग राठी,
जिलाधिकारी,
जिला भदोही,
कलेक्टोरेट कैंपस, सरपतहा, ज्ञानपुर,
भदोही, उत्तर प्रदेश,
ई-मेल: dmsrn@nic.in

विषय: जनपद भदोही में गोंड अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न रोकने के संबंध में श्री कमलेश कुमार गोंड, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा जिला-भदोही, उत्तर प्रदेश-221402 से दिनांक 09.10.2023 का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री कमलेश कुमार गोंड से दिनांक 09.10.2023 में** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(मीनाक्षी शर्मा)
सहायक निदेशक

जारी किया
ISSUED

प्रतिलिपि संलग्नः

श्री कमलेश कुमार गोंड,
जिलाध्यक्ष,
अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा जिला-भदोही,
ग्राम-दलापुर, पोस्ट-गोहीलाव, तहसील-औराइ, भदोही,
उत्तर प्रदेश-221402

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24657272, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

महारानी दुर्गावती अमर रहे !　　आदिवासी/अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति जिन्दाबाद 2!　　वीरशाहमुण्डा अमर रहे!
गोंड शक्ति-जिन्दाबाद!
रजिस्ट्रेशन सन्- 1949 वर्ष　　पंजी सं0 403

अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा शाखा भदोही

केन्द्रीय कार्यालयः- 9- बनवारी लाल राय रोड, पीलाखाना हाबड़ा (पश्चिम बंगाल)

कमलेश कुमार गोंड
जिला - अध्यक्ष
जिला - भदोहीं
मो0- 7309834305, 8957796318

निवासः-
ग्राम - दलापुर
पो0 - गोहिलाव
तहसील- औराई
जिला - भदोहीं - 221402

पत्रांक 1/2023　　दिनांक 9.10.2023

Call for report from District Collector, Bhadohi w.r within 15 days
A — 9.10.23
Dir (ESDW)

सेवा में ,

माननीय सदस्य महोदय (अनन्तनायक जी)

अनुसूचित जन जाति आयोग

भारत सरकार दिल्ली।

विषय– जनपद–भदोही में गोंड अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न रोकने के संम्बध में--

महोदय ,

मैं प्रार्थी कमलेश कुमार गोंड अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा जनपद–भदोही आपको अवगत कराना चाहूगा। कि विगत वर्ष जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के निर्णय के उपरान्त जिलाधिकारी के आदेश संख्या 198रा0सहा0 / 2015 दिनांक 11 मार्च 2015 एवं शासनादेश संख्या 330सी0एम0 / 26--03–2006–3(28) 78 समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 3 जनवरी 2007 एवं शासनादेश संख्या 2133 / 2633 99–3 (28) / 78 समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 28 अक्टूबर 1999 के अनुपालन में गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा था परन्तु महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा गजट 24.12.2022 को 4 जिला जैसे भदोही चन्दौली, सन्त कबीर नगर, एवं कुशी नगर को अनुसूचित जन जाति में कर दिया गया है। जिसके अनुपालन में भारत सरकार (जन जाति मंत्रालय से F.N.12026 / 35 / 2013–C&I..M.I part (1)– (E-23009) भारत सरकार दिनांक 20 / 01 / 2023 को आदेश कर दिया गया है। जिसके अनुपालन में उ0प्र0 सरकार के प्रमुख सचिव द्वारा आदेश संख्या computer N0 1690967 File N0 26-3099/100/2023/676/26-3-2023 समाज कल्याण अनुभाग –3 लखनऊ दिनांक 24.02.'2023 को आदेश जिलाधिकारी महोदय को कर दिया गया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस शासनादेश के अनुपालन में जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति भदोही का गठन करके दिनांक 23.06.2023 को निर्णय लेकर सभी तहसीलदार को आदेश भेज दिया गया है परन्तु तहसीलदार सभी शासनादेश व जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का निर्णय न मानते हुए मनगढ़त तरीके से सभी लोगो के

प्रार्थना पत्र लेखपाल राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिया जा रहा है। जबकि सभी प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व का जारी जाति प्रमाण पत्र व नकल खतौनी की नकल 1356 / 1333 / 1334 / 324 व परिवार रजिस्टर का नकल व टी0सी0 व स्व0 घोषणा पत्र व नोटरी हलफनामा संलग्न का प्रार्थना पत्र भेजा गया है। परन्तु तहसीलदार औराई सत्यपाल प्रजापति द्वारा कहा जाता है कि जब तक मै तहसीलदार औराई रहुगा तब तक गोंडो का अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र जारी नही करुगा।

अतः श्रीमान जी से सादर अनुरोध करुगा कि हर कार्य के लिए शासनादेश का पालन किया जा रहा है परन्तु गोंड जाति के लिए शासनादेश एवं जिलाजाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का निर्णय नही माना जा रहा है शासनादेश का खुला उलग्घन किया जा रहा है जिससे आदिवासी गोंड जाति के लोगो का मानसिक आर्थिक व सामाजिक उत्पीड़न किया जा रहा है गरीब बच्चो का स्कूल में नाम नही लिखा जा रहा है गोंड जाति के साथ हो रहे उत्पीड़न को राकने की कृपा करे। प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।

दिनांक 08.10.2023

प्रार्थी

कमलेश कुमार गोंड

जिला अध्यक्ष

अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा

जनपद–भदोही

पिन– 221402

मो0 न0 7309834305/8957796318